

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या 16/2024

सायल

राजस्थान सरकार जरिये
हल्का पटवारी गुड़ामालानी

बनाम

गैर सायल

ताराराम पुत्र जेताराम जाति माली
निवासी गुड़ामालानी
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 20.08.2024

-:निर्णय:-

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का गुड़ामालानी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गुड़ामालानी राजकीय भूमि ख.न. 1677 रकबा 0.2752 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता में से 0.0162 हैक्टेयर भूमि पर कच्चा निर्माण कर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतः गैर सायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किये गये।

सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 05.08.2024 को सायल हल्का पटवारी उपस्थित, गैर सायल अनुपस्थित। पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 20.08.2024 को जवाब हेतु समय दिया गया तदुपरान्त गैर सायल अनुपस्थित रहने से इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि गैर सायल कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहता है।

अतः हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि सरकारी गैर मुमकिन रास्ता है जिस पर गैर सायल का अनाधिकृत कब्जा साबित होता है तथा पड़ोसी खसरो के काश्तकारों के आवागमन रुका हुआ है। इससे सुखाचार प्रभावित हो रहा है। अतः गैर सायल को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.15 रुपये का राउण्ड अप 01 रुपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रुपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायल को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे को हटाकर भूमि को सरकारी तहवील में लेने तथा नियमानुसार जुर्माना वसूल कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी, भू.अ.नि. तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



(कौशल्या)

तहसीलदार गुड़ामालानी
जिला-बाड़मेर